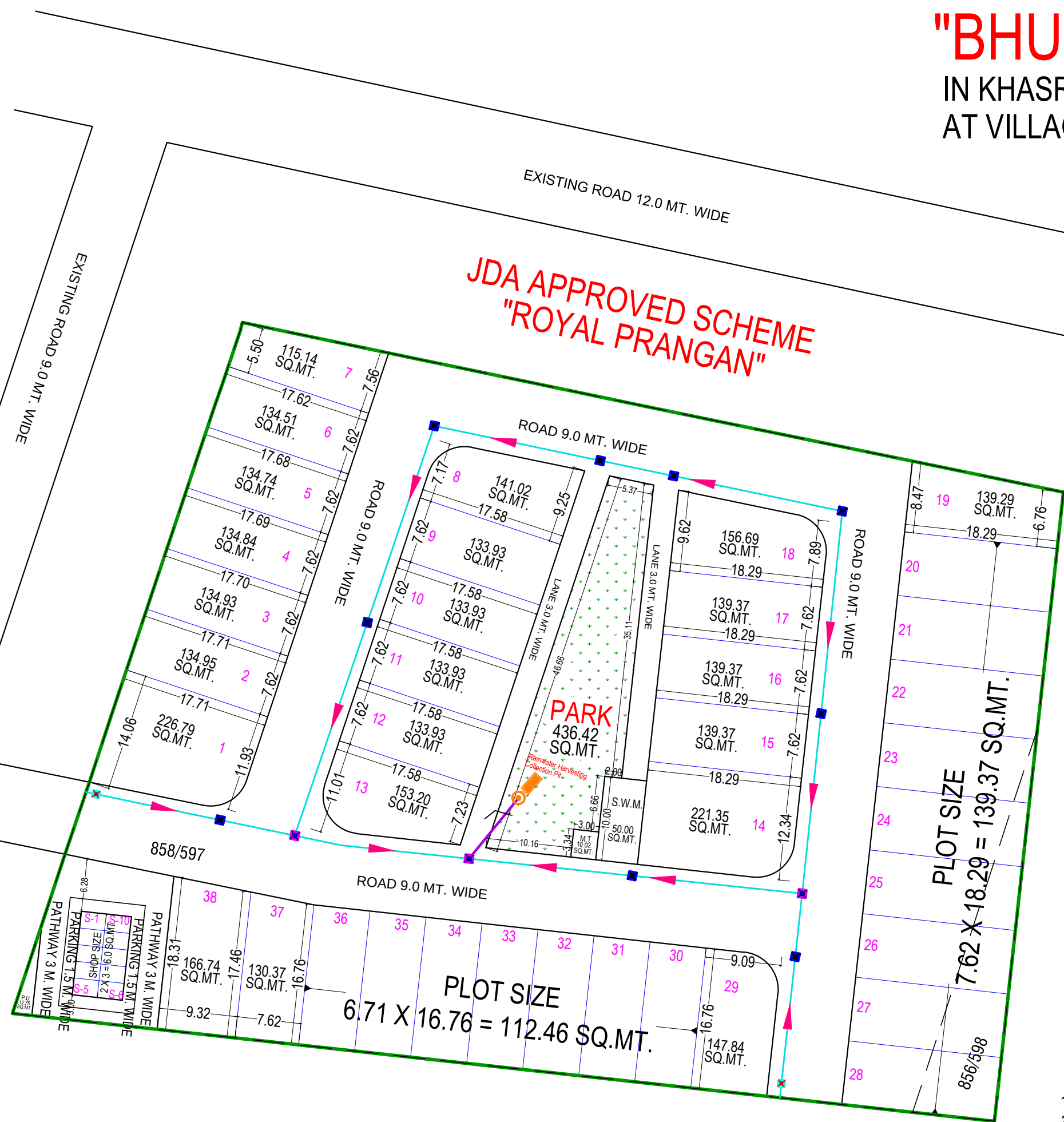
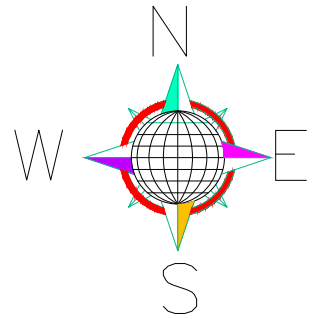


Layout Plan of Rainwater Harvesting / Recharging for
"BHUMIJA PRANGAN BLOCK-B"
IN KHASRA NO.- 856/598, 858/597.
AT VILLAGE :- BINDAYAKA, TEH.:- JAIPUR & JAIPUR.



LEGEND	
SYMBOLS	RELATION TO
	MANHOLE 450x450x450
	MANHOLE 450x450x600
	MANHOLE 450x450x900
	150mm uPVC PIPE
	200mm uPVC PIPE
	Rainwater Harvesting Line Slope
	Rainwater Harvesting Collection Pit

J.D.A

KHASRA MAP

APPROACH PLAN:

DIRECTION

मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार पू उपयोग
आवासीय भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-
1 चुन आवासीय भूखण्ड = 38
2 खुदरा व्यावसायिक भूखण्ड = S-10

AREA ANALYSIS :-			
S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1	RESIDENTIAL	5267.97	60.37 %
2	RETAIL	60.00	0.69 %
TOTAL = (1+2)		5327.97	61.06 %
3	PARK	436.42	05.00 %
4	S.W.M.	50.00	0.57 %
5	MOBILE TOWER	10.02	0.11 %
6	PU (TOILET)	12.75	0.15 %
7	ROAD	2888.84	33.11 %
TOTAL = (3 TO 7)		3398.03	38.94 %
SCHEME AREA	8726.00	100.00 %	
	0.8726 HECT.		

योजना की भूमि की रा.भू.स. अधिनियम की धारा 90 ए की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमाणिकरण मेरे द्वारा किया गया।
योजना की पूरे भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम	नाम
तहसीलदार	उपायुक्त जेन--

बी.पी.सी / जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक
की अनुमतिना मे योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

SCHEME NAME: PROPOSED LAY OUT PLAN OF
"BHUMIJA PRANGAN BLOCK-B"
IN KHASRA NO.- 856/598, 858/597
AT VILLAGE :- BINDAYAKA, TEH.:- JAIPUR & JAIPUR.

ZONE NO. = 12

SCALE 1:500

A.T.P.	A.A.T.P.	S.T.P.
JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY		

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है ।

अमीन
जोन-12

नोट

- कार्नर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
- आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 26.04.2022 को हो चुकी है।
- योजना की भूमि में रा.भू.स.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 6, 7, 19, 20, 28 कुल भूखण्ड 05 कुल क्षेत्रफल 667.68 वर्गमीटर है, को जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्ड को आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
- योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 317 वीं बैठक दिनांक 13.05.2022 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
- योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण एवं मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत यू-1 (आवासीय) है एवं नगर निगम सीमा में स्थित है।
- योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- बीपीसी (एलपी) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स एवं सेंटबैक्स जविप्रा (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।
- नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 31.03.2022 के अनुसार समस्त चौड़ाई की सड़कों पर 90.00 व.मी. तक के भूखण्डों का अग्र सेंटबैक अनिवार्य नहीं होगा।



KGR ENGINEERS AND APPRAISERS
PROP. ER. RAHUL KUMAR
CHARTERED ENGINEER
P. No. +91 8955829798

सहायक नगर नियोजक
जोन-12
तहसीलदार
जोन-12
उपायुक्त
जोन-12
वरिष्ठ नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)